

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

परशुराम धानका

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

04 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012

10.05.2012

15.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-दूध विक्रेता श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला पुत्र श्री मोहन लाल ग्वाला निवासी गोसी मोहल्ला गणेश रोड देवली जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार उप।

2-अभिभाषक अप्रार्थी अनु।

:-निर्णय:-

दिनांक 15.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.01.2012 को समय 08:30 ए.एम. पर जहाजपुर नाका देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर दूध विक्रेता श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला पुत्र श्री मोहन लाल ग्वाला अपनी मोटरसाईकिल आरजे 26 2 एम9568 सूजकी मेक्स 100 पर दूध विक्रय करने हेतु तीन ड्रम जो एक 50 लीटर, एक 30 लीटर एवं 15 लीटर क्षमता के लेकर आ रहा था को रूकवाकर अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया एवं पूछने पर दूध विक्रेता ने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार ग्वाला पुत्र श्री मोहन लाल ग्वाला बताया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु ड्रम में लगभग 80 लीटर मिश्रित दूध रखा था जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर दूध विक्रेता श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला पुत्र श्री मोहन लाल ग्वाला को फार्म नं. 5ए में मिश्रित दूध वास्ते जांच बाजार भाव के समान क्रय करने हेतु गवाहों के समक्ष सूचना देकर 2 लीटर मिश्रित दूध खरीदा जिसकी जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किए।

आवेदक ने खरीदशुदा मिश्रित दूध को हिला-मिलाकर चार साफ एवं सूखी कांच की शिशियों में बराबर-बराबर भरकर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मलिन की 40-40 बूंदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाइट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I-187 अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर



1824

आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-187 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जापते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./12/766 दिनांक 02.03.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/39/एक्ट/2012/30 दिनांक 03.02.2012 के अनुसार दूध विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया मिश्रीत दूध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का मिश्रीत दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 07.09.2012 को श्री अजय सिंह सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 24.01.2013 को जवाब पेश कर बहस हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस नहीं की गई ना ही अभिभाषक न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मिश्रीत दूध का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मिश्रीत दूध का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार ग्वाला पुत्र श्री मोहन लाल ग्वाला पर शास्ति रूपये 60,000/- (अक्षरे साठ हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(परशुराम धामका)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक राज0